

श्रीजा महिबार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद  
 माइल द्वारा प्रथमक क्वेरबहादुर सिंह

बनम  
 श्रीम प्रयास  
 03-04-18

प्रस्तुत वाद की पत्रावली वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018

के कम में प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत पत्रावली में माइल द्वारा प्रथमक क्वेरबहादुर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह  
 नि0 ग्राम टिकरही खुर्द परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद ने ग्राम पंचायत की प्रतिवादी बनने  
 हेतु नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र 25 पर मय शपथपत्र इस कथन के साथ दायर किया है कि वे श्रीजा  
 महिबार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आर0सी0 संख्या 595 रकबा 0.902हे0 में से  
 रकबा 0.602हे0 व आ10 सं0 598 रकबा 0.354हे0 कूल 2 गाटा कूल रकबा 0.955हे0 सकमणीय  
 भूमिधर के रूप में काबिल दर्जाल कारतकार है, और उक्त भूमि के आधिक भाग पर विद्यालय भवन  
 का निर्माण कराकर अकषिक प्रयोग कर रहा है एवं उक्त भूमि का उपयोग कृषि, उद्यानकरण, अथवा  
 पर्यापान निरसक अन्तगत मत्स्य संवर्धन एवं क्वैकट पालन भी सम्मिलित है, से भिन्न प्रयोजन हेतु  
 प्रयोग की जा रही है। और अन्त में याचना किया कि उक्त भूमि को आकषिक धारित करते हेतु  
 लगान मुक्त किया जाय। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बारा की जांच आख्या मगाई गयी तहसीलदार  
 बारा द्वारा दिनांक 01.02.2018 की आर0सी0 संख्या 595 रकबा 0.902हे0 में से रकबा 0.602हे0 व आ10  
 सं0 598 रकबा 0.354हे0 कूल 2 गाटा कूल रकबा 0.955हे0 भूमि को शैरकषिक भूमि धारित किया  
 जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी। तदनुसार वाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी किया गया तथा  
 इस न्यायालय द्वारा नियमानुसार दिनांक 26.03.2018 को आदेश पारित किया गया। आपत्तिकर्ता वादी के  
 विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन/संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 के कम में पर वाद  
 की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को ध्यान पूर्वक सुना और पत्रावली का परिशीलन  
 किया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत खाला सं0 25 भूमि  
 महिबार के आधार पर उक्त भूमि पर कृषि उद्यानकरण अथवा पर्यापान निरसक अन्तगत मत्स्य संवर्धन  
 तथा क्वैकट पालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जा रही है। तहसीलदार  
 बारा की आख्यानुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार उक्त भूमि को शैरकषिक धारित किया जाने में कोई  
 विधिक अडचन प्रतीत नहीं होती है।

**आदेश**

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर एवं तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्व पारित  
 आदेश दिनांक 26.03.2018 निरस्त कर श्रीजा महिबार की आर0सी0 सं0 595 रकबा 0.902हे0 में से  
 रकबा 0.602हे0 व आ10 सं0 598 रकबा 0.354हे0 कूल 2 गाटा कूल रकबा 0.955हे0 भूमि को  
 विद्यालय के प्रयोग हेतु अकषिक धारित कर प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार बारा की आख्या  
 आदेश का अंग होगा। आदेश की सत्य प्रतिलिपि ज0वि030310 के नियमावली के नियम 137 के  
 अन्तगत निबन्धन हेतु उपनिवेशक बारा को भजी जाय एवं परगना अमलदारमाद जारी होय।  
 आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल तकपूरत ही।

उपनिवेशिकाई  
 (आगत भूमि)  
 03-04-18

Handwritten signature and stamp at the top right of the page.